(6)

न्यायालय में माननीय श्री रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर (म.प्र.)खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

R 1846-III/13

1. झल्ला पिता जोधी
2. पुरूषोत्तम पिता बल्देव
3. रामाधीन पिता बल्देव
4. लल्ली पिता बल्देव

सभी जाति चमार निवासी ग्राम पलझा थाना इन्दवार तहसील मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0)

.आवेदक / याचक

बनाम्

रूरूआ पिता बुद्धिया चमार निवासी ग्राम पलझा थाना इन्दवार तहसील मनपुर जिला–उमरिया म. प्र.

..अनावेदक / उत्तरदाता

आवेदन बावत् करापाने पुनरीक्षण / निगरानी विरूद्ध निर्णय व अंतरिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के रा.प्र.क. 38 / अपील / 09–10आदेश दिनांक 18.03.2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50(म.प्र.) भू–रा0संहिता 1959

मान्यवर,

शंक्षेप मे प्रकरण के तथ्य यह है कि आराजी स्थित ग्राम पलझा पटवारी हल्का पलझा रा.नि. मं. चिल्हारी की भूमि है जिसका खसरा नं. 705 रकवा 0.34 एकड,एवं खसरा नं. 706 रकवा 0.31 एकड है जिसके मालिक भूमिस्वामी आवेदकगण है तथा मौके से अपने बाप दादा के जमाने से आपस मे हक के आधार पर आपसी हिस्सा बांट से भूमि प्राप्त कर मकान,कुऑ बागमानी तथा अपनी अपनी सीमा सरहद्दी बनाकर मौके से आवाद है तथा काबिज है उपरोक्त कथित भूमियों का नामान्तरण हक हिस्सा व स्वत्व के आधार पर आवेदक कमांक 01 एवं आवेदक कमांक 2,3,4 के पिता के जीवन काल में आपसी सहमति व हक के आधार पर उभय पक्ष के बीच जरिए नामांन्तरण पंजी कमांक 04 आदेश दिनांक 18.06.1983 के अनुसार पारित हुआ था आपसी सहमति से पारित हुए आज 25–26 वर्ष हो गये उभय पक्ष की जानकारी मे शान्ति पूर्ण ढंग से आवेदक अनावेदक अपने अपने हक हिस्से के भूमियो पर मकान कुंआ बनाकर शान्ति पूर्ण ढंग से आवाद है।व मौके से आज भी उभय यपक्ष के बीच उपरोक्त कथित भूमियों को लेकर कोई विवाद नही है

PTO

R 1846-III/13

28.9.15	निवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। काफी [illegible] समय समय का बीत चुका सुनवाई नहीं। कोई उपस्थित नहीं। निवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	28.9.15